

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.10.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 01 पिकअप वाहन से 05 राशि गौवंश (4 राशि जिन्दा व 1 मृत) बरामद करते हुए 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 05.10.2025 को समय करीब 21.10 बजे रेलवे फ्लाईओवर से करीब 100 मीटर आगे ग्राम रेवसा के पास से चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन UP42CT7479 से 05 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन को रोकने के दौरान पिकअप चालक द्वारा पिकअप वाहन पुलिस बल के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया कि पुलिस बल अपने आप को बचाते हुये पिकअप वाहन को रोक लिया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की पहचान 1. विनोद कुमार पासी पुत्र स्व0 कृष्णा प्रसाद निवासी कटरौली थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र करीब 34 वर्ष व 2. सुभान्शू यादव पुत्र परमेश्वर यादव निवासी धन्नीपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 481/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 109(1)/325 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताये कि हमारे पिकअप में गोवंश लदे हुए हैं, जिन्हें हम लोग वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे। आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से आप लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक -06.10.2025

समय -21.10 बजे

स्थान- रेलवे फ्लाईओवर से करीब 100 मीटर आगे ग्राम रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 481/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 109(1)/325 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

एक पिकअप वाहन संख्या UP42CT7479

05 राशि गौवंश (4 राशि जिन्दा व 01 राशि मृत) अवस्था में बरामद

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 पंकज सिंह चौकी प्रभारी ताराजीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली मय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 सुनील कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 हे0का0 दीपक त्रिपाठी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

- ☐ थाना बलुआ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- ☐ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर 38 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 38 बोर, 01 खोखा कारतूस 38 बोर, व 01 iPhone किया गया बरामद।

चन्दौली- आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में अतुल कुमार, थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 67A अभय पुत्र रमेश निवासी ग्राम फुलवरिया कैथा थाना बलुआ जनपद चन्दौली को दिनांक 05.10.2025 को समय करीब 16.15 बजे लक्ष्मणगढ पुलिसा ग्राम लक्ष्मणगढ थाना बलुआ जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर 38 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 38 बोर, 01 खोखा कारतूस 38 बोर , 01 iPhone बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 255/2025 धारा 7/25(1-B)(a) आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि अवैध रिवाल्वर वह समाज में भय व्याप्त करने व समाज अपनी धाक जमाने के लिए रखता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभय पुत्र रमेश निवासी ग्राम फुलवरिया कैथा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध रिवाल्वर 38 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 38 बोर
- 01 खोखा कारतूस 38 बोर
- 01 iPhone (एप्पल कम्पनी का बरंग आसमानी)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

- मु0अ0सं0 255/2025 धारा 7/25(1-B)(a) आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0- 226/25 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0- 232/2024 धारा 310(2)/311/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0- 230/2018 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का विवरण:-

स्थान:- लक्ष्मणगढ पुलिसा ग्राम लक्ष्मणगढ थाना बलुआ जनपद चन्दौली

दिनांक: 05.10.2025 समय 16.15 बजे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली,
- 2.उ0नि0 सतीश चन्द्र सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 3.उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 4.हे0का0 जलभरत यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 5.हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 6.का0 रोहित यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 7.का0 अनुज कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली